



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-05052026-272257
CG-TN-E-05052026-272257

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]
No. 305]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948
NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

इंडियन बैंक

अधिसूचना

चेन्नै, 4 मई, 2026

फा. सं. HRL/134/2026-2027.— बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/12022-आईआर, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में की गई या लोप की गई बातों के सिवाय, 1 नवंबर, 2022 को और से, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक, एतद्वारा इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में आगामी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों को इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित) के विनियम 3 में, खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(एफ)” चिकित्सा सुविधाओं के प्रयोजनार्थ और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजनार्थ, अधिकारी कर्मचारी के संबंध में "परिवार" से अभिप्रेत होगा-

- (i) अधिकारी कर्मचारी का पति या पत्नी;
- (ii) पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे और विधिपूर्वक गोद लिए गए बच्चों सहित);
- (iii) पूर्णतः आश्रित शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग भाई या बहन, जिनमें विकलांगता का प्रतिशत चालीस प्रतिशत या उससे अधिक हो;
- (iv) विधवा पुत्रियाँ तथा आश्रित तलाकशुदा या विवाह विच्छेदित पुत्रियाँ;
- (v) बहनें, जिनमें अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्ता या पति से विलग या विधवा बहनें शामिल हैं; और
- (vi) अधिकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता:

बशर्ते कि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के मामले में, आयु पर ध्यान दिए बिना, उन्हें विवाह के बाद भी आश्रित माना जाएगा, जो आश्रितों के लिए निर्धारित आय के मानदंडों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

स्पष्टीकरण 1.- "पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य" अभिव्यक्ति से ऐसा पारिवारिक सदस्य अभिप्रेत होगा जिसकी मासिक आय ₹ 18,000/- से अधिक न हो और यदि माता-पिता में से किसी एक की मासिक आय ₹ 18,000/- से अधिक है और या दोनों माता-पिता की सकल मासिक आय ₹ 18,000/- से अधिक है, तो दोनों माता-पिता को अधिकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजनार्थ, सभी अधिकारी कर्मचारियों हेतु, आश्रित पिता, माता, ससुर, सास में से किन्हीं भी दो को शामिल किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी के पास कैलेंडर वर्ष में एक बार इनमें से किसी भी एक आश्रित को, या दोनों को बदलने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण 3.- यह परिभाषा 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी और कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, चिकित्सा बीमा योजना या पॉलिसी के प्रयोजन हेतु, आश्रितों का संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगा;

3. उक्त विनियमनों के विनियम 4 में, -

(ए) उप-विनियम (7) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(बी) उप-विनियम (9) और (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(9) 1 नवंबर, 2022 को और से, प्रत्येक ग्रेड के सापेक्ष विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होगा:

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड

वेतनमान VIII = रु. 253000 - 9000/4 - 289000

वेतनमान VII = रु. 156500 - 4340/4 - 173860

वेतनमान VI = रु. 140500 - 4000/4 - 156500

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान V = रु. 120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 – 135020

वेतनमान IV = रु. 102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(सी) मध्य प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III = रु. 85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

वेतनमान II = रु. 64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान I = रु.48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

स्पष्टीकरण - प्रत्येक अधिकारी, जो यथास्थिति 31 अक्टूबर, 2022 को प्रभावी वेतनमान द्वारा शासित है, उसे यथास्थिति 1 नवंबर, 2022 से चरण-दर-चरण आधार पर इस उप-विनियम में निर्धारित वेतनमान में फिट किया जाएगा, अर्थात् संबंधित वेतनमान में पहले चरण से आगे के सदृश चरणों में तथा वेतन वृद्धि सामान्य रूप से वर्षगांठ पर देय होगी, जब तक कि जहां अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(10) उप-विनियम (1) से (9) में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवारत अधिकारी रखना अपेक्षित है।

(11) 1 नवंबर, 2012 को और से, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता का भुगतान किया जाएगा:

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

वेतनमान IV – V – मूल वेतन का 10 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 11 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

(12) 1 नवंबर, 2017 को और से, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता का भुगतान किया जाएगा:

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

वेतनमान IV – V – मूल वेतन का 19 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

वेतनमान VI – VIII - मूल वेतन का 20 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता;

परंतु, यह कि वेतनमान-VIII का अधिकारी 31 मार्च, 2020 से विशेष भत्ते के लिए पात्र होगा।

(13) 1 नवंबर, 2022 को और से, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता का भुगतान किया जाएगा:

वेतनमान I - मूल वेतन का 26.50 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

वेतनमान II – III - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 30.50 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

वेतनमान VI - VII - मूल वेतन का 31.50 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

वेतनमान VIII - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत एवं उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ता।

नोट: उप-विनियम (11), (12) और (13) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते और उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभ, ,यथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) सहित पेंशन, भविष्य निधि और उपदान के लिए परिगणित नहीं किया जाएगा।"

4. उक्त विनियमनों के विनियम 5 में, -

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (9) के प्रावधानों के अध्यक्षीन, 1 नवंबर, 2022 से, वेतन वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्: -

- (ए) विनियम 4 के उप-विनियम (7) और (8) में निर्धारित वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के अध्यक्षीन, वार्षिक आधार पर उपचित होंगी और जिस महीने में यह देय होगी, उसके पहले दिन प्रदान की जाएंगी;
- (बी) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों से संबंधित वेतनमानों के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात, उनके दक्षता रोध को पार करने के अध्यक्षीन केवल नीचे दिए गए खंड (सी) और (डी) में विनिर्दिष्ट के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अवरुद्ध वेतनवृद्धि सहित आगे की वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी;
- (सी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I के अधिकारी, उच्चतम वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के पश्चात खंड (बी) के अनुसार मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के वेतनमान में चले गए हैं, वे अपनी सेवा के प्रत्येक दो वर्ष की पूर्णता पर सात अवरुद्ध वेतनवृद्धि जिनमें से पहला दो प्रत्येक ₹2,680/- एवं अगला पांच प्रत्येक ₹2,980/- होगा, के पात्र होंगे।

परंतु, यह कि अधिकारी पाँचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्षों पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, छठी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

परंतु, यह और कि अधिकारी पाँचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्षों पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

- (डी) मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II के अधिकारी, उच्चतम वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के पश्चात खंड (बी) के अनुसार मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III के वेतनमान में चले गए हैं, अपनी सेवा के प्रत्येक दो वर्ष की पूर्णता पर प्रत्येक ₹2,980/- की सात अवरुद्ध वेतनवृद्धि के पात्र होंगे।

परंतु, यह कि अधिकारी पाँचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्षों पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, छठी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

परंतु, यह और कि अधिकारी पाँचवें अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्षों पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

- (ई) मूल रूप से मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के अधिकारी, अर्थात् जो मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं, वे वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद अपनी सेवा के प्रत्येक दो वर्ष की पूर्णता पर आठ अवरुद्ध वेतनवृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें से पहली चार अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹2,980/- की और अगली चार वेतन वृद्धि ₹3,360/- प्रत्येक की होंगी:

परंतु, यह कि अधिकारी छठी अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

परंतु, यह और कि अधिकारी छठी अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, आठवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(एफ) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद, अपनी सेवा के प्रत्येक दो वर्ष की पूर्णता पर पाँच अवरुद्ध वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे, जिनमें से पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹3,360/- की और अगली चार अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹3,680/- प्रत्येक की होंगी।

परंतु, यह कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

परंतु, यह और कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

परंतु, यह भी कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के छः वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, पांचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(जी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल V के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद, अपनी सेवा के प्रत्येक दो वर्ष की पूर्णता पर ₹4,000/- की चार अवरुद्ध वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे।

परंतु, यह कि अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के चार वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

परंतु, यह और कि अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के छः वर्ष बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

परंतु, यह भी कि अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के आठ वर्ष बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(एच) उच्च प्रबंधन ग्रेड वेतनमान VI के अधिकारी, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद, अपनी सेवा के प्रत्येक दो वर्ष की पूर्णता पर तीन अवरुद्ध वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹4,000/- प्रत्येक की और तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹4,340/- की होगी:

परंतु, यह कि वह अधिकारी जो पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच चुका है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के दो वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, ₹4,000/- की पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

परंतु, यह और कि वह अधिकारी जो पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच चुका है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के चार वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, ₹4,000/- की दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

परंतु, यह भी कि वह अधिकारी जो पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच चुका है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के छः वर्ष बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, ₹4,340/- की तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(आई) उच्च प्रबंधन ग्रेड वेतनमान VII के अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद, अपनी सेवा के प्रत्येक दो वर्ष की पूर्णता पर ₹4,340/- की तीन अवरुद्ध वेतनवृद्धि हेतु पात्र होंगे।

परंतु, यह कि वह अधिकारी जो पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच चुका है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के दो वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

परंतु, यह और कि वह अधिकारी जो पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच चुका है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के चार वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

परंतु, यह भी कि वह अधिकारी जो पहले ही वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच चुका है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के छः वर्षों बाद अथवा 1 नवंबर, 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

नोट: इस उप-विनियम के खंड (ए) से (आई) में उल्लिखित वेतनवृद्धि उस अधिकारी को अनुमत नहीं होंगी जो पदोन्नति की पेशकश को अस्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि की संस्वीकृति पदोन्नति के समरूप नहीं मानी जाएगी और अधिकारियों के विशेषाधिकार, अनुलब्धियाँ, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के अनुरूप ही बनी रहेगी”;

(बी) उप-विनियम (2) में, -

(i) स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“परंतु, यह कि 1 नवंबर, 2022 को और से, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा का भाग II (सीएआईआईबी-II) पूर्ण करने वाले अधिकारी, अपने वेतनमान में दो वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जो जूनियर एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा का भाग I (सीएआईआईबी-I) पूर्ण करने हेतु मिलने वाली एक वेतनवृद्धि के अतिरिक्त होगी:

परंतु, यह और कि वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 2022 को बैंक में सेवारत थे और जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) अथवा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा-I (सीएआईआईबी-I) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा-II (सीएआईआईबी-II) पहले ही पूर्ण कर ली है, वे 1 नवंबर, 2022 से अथवा जेएआईआईबी/ सीएआईआईबी-I/ सीएआईआईबी-II परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, दूसरी अतिरिक्त वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे।

परंतु, यह और कि जहाँ किसी अधिकारी ने यथास्थिति 8 मार्च, 2024 को वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद (जूनियर एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) अथवा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा (सीएआईआईबी), जूनियर एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) अथवा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा-I (सीएआईआईबी-I) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा-II (सीएआईआईबी-II) अथवा वेतनमान के अधिकतम स्तर से एक चरण कम के स्तर पर पहुँचने के बाद (जूनियर एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा (जेएआईआईबी) अथवा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा-I (सीएआईआईबी-I) या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा-II (सीएआईआईबी-II) उत्तीर्ण कर ली है या उत्तीर्ण करता है और ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर अन्यथा रूप में मिलने वाली वेतनवृद्धि अर्जित नहीं की हैं, जब उन कर्मचारियों के वेतनमान में प्रदान करने हेतु कोई वेतनवृद्धि देय नहीं थी, तो ऐसे मामलों में अवरुद्ध वेतनवृद्धि को एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, पूर्व प्रदान किया जा सकता है।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (एच) के पश्चात् और नोट के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) 1 नवंबर, 2022 को और से, अन्य चीजें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रमात्रा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार संशोधित की जाएगी, अर्थात्: -

सारिणी

जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन बैंकर्स (जेएआईआईबी) अथवा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स भाग-I उत्तीर्ण किया है	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात ₹1,370/- प्रति माह
जिन्होंने सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं	(ए) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात ₹1,370/- प्रति माह; (बी) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के दो वर्ष पश्चात ₹3,425/- प्रति माह; और (सी) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के तीन वर्ष पश्चात ₹5,480/- प्रति माह;

परंतु, यह कि कोई अधिकारी कर्मचारी, जो वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के बाद जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (कोई एक या दोनों भाग) की अर्हता प्राप्त करता है, उसे ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तिथि से व्यावसायिक अर्हता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की आगामी किस्तों का निर्गमन, व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किस्त के निर्गमन की तिथि के संदर्भ में किया जाएगा:

परंतु, यह और कि 1 नवंबर 2022 को और से, वेतनमान VIII में कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई भी व्यावसायिक अर्हता भत्ता देय नहीं होगा:

(iii) नोट में, खंड (v) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“(vi) अधिकारी जो यथास्थिति 1 नवंबर 2022 को बैंक में सेवारत थे और जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स या सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स-II पहले ही उत्तीर्ण कर चुके हैं और व्यावसायिक अर्हता वेतन-II आहरित कर रहे हैं, वे व्यावसायिक अर्हता वेतन-II के निर्गमन के एक वर्ष पश्चात अथवा 1 नवंबर 2022 से, जो भी बाद में व्यवसायिक अर्हता वेतन-III के लिए पात्र होंगे।

(vii) अधिकारी, जिन्होंने जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स-I) अथवा सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स-II) पूर्ण कर ली है और 1 नवंबर, 2022 को और से पूर्व वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँच गए हैं तथा 1 नवंबर, 2022 को और से पूर्व प्रथम अवरुद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की है, 1 नवंबर, 2022 को और से व्यावसायिक अर्हता वेतन-I के पात्र होंगे, और व्यावसायिक अर्हता वेतन की आगामी किस्त इस खंड के अध्यक्षीन व्यावसायिक अर्हता वेतन-I निर्गमन होने की तिथि के संदर्भ में निर्गमित की जाएगी।

(सी) उप-विनियम (3) में, -

(i) खंड (जी) के पश्चात् का नोट विलोपित किया जाएगा

(ii) खंड (एच) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) 1 नवंबर, 2022 को और से, अन्य चीजें समान होने पर, मकान किराया भत्ता सहित नियत व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा एवं पूरी सेवा अवधि के दौरान स्थिर रहेगा:

सारणी

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	वेतनवृद्धि के घटकों पर यथास्थिति 1 नवंबर, 2022 को महंगाई भत्ता (रु.)	जहाँ बैंक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहाँ देय कुल नियत वै व्यक्तिगत वेतन (रु.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669

टिप्पणी:

- (i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी) (एच) और (आई) में सारणी के कॉलम (3) के तहत यथा इंगित निश्चित/नियत व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित/नियत व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारी कार्मिकों को देय होगा, जिन्हें बैंक का आवास प्रदान किया जाता है।
- (ii) मकान किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए नियत/निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन, खंड (i) के तहत उपर्युक्त सारणी के कॉलम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट सकल राशि होगी तथा संबंधित अधिकारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) और (9) में यथाविनिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता होगा;
- (iii) केवल वही अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को या उससे पूर्व बैंक की सेवा में थे, अपनी वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद नियत व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र होंगे।
- (iv) 1 नवंबर, 1999 को और से, नियत व्यक्तिगत वेतन जारी करने के कारण उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (सी) के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी करने की समयसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा:
- परंतु यह कि, जहाँ व्यावसायिक अर्हता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती उपबंधों के कारण एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी गई है और 1 नवम्बर, 1999 को या उसके पश्चात जारी होने वाली है, वह अधिकारी को इसी तारीख से जारी की जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी।
- (v) निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन का वेतनवृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभ के लिए परिकल्पित किया जाएगा।
- (vi) कोई अधिकारी, जिसने उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि अर्जित की है, वह वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात, इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में यथा उल्लिखित निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन की प्रमात्रा आहरित करेगा।

5. उक्त विनियमनों के विनियम 21 में, -

(ए) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण में, खंड (बी) में के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(बी) विनियम 5 के उप- विनियम (2) के स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) में यथा उल्लिखित व्यावसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता वेतन पर महंगाई भत्ता देय होगा।”;

(बी) उप- विनियम (7) के पश्चात, निम्नलिखित उप- विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(8) 1 नवम्बर, 2022 को और से, -

(ए) वेतन प्रति प्रतिशतता सूचकांक के एक प्रतिशत पर महंगाई भत्ता देय होगा;

(बी) उपर्युक्त रूप में महंगाई भत्ता, औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधार 2016=100 के तिमाही औसत में 123.03 बिन्दु पर प्रत्येक वृद्धि या गिरावट प्रत्येक परिवर्तन हेतु देय होगा। सीपीआई 2016 में 123.03 बिन्दु से ऊपर प्रत्येक दूसरे दशमलव स्थान में बदलाव के लिए वेतन के महंगाई भत्ते में 0.01 प्रतिशत का परिवर्तन होगा;

(सी) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन तिमाही आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को निम्नलिखित आधार पर जारी किया जाएगा, अर्थात्: -

महंगाई भत्ता जारी होने की तिथि	माहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिन्दुओं का तिमाही औसत	माह हेतु प्रयोज्य
1 मई	जनवरी, फरवरी और मार्च	मई, जून और जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई और जून	अगस्त सितम्बर और अक्तूबर
1 नवम्बर	जुलाई, अगस्त और सितम्बर	नवंबर, दिसम्बर और जनवरी
1 फरवरी	अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर	फरवरी, मार्च और अप्रैल

(डी) महंगाई भत्ते की कोई उच्चतम सीमा नहीं होगी;

(ई) तिमाही औसत के परिकलन में केवल पहले दो दशमलव पर ही विचार किया जाएगा।”

6. उक्त विनियमनों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1) 1 नवम्बर, 2022 को और से, -

(ए) जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहाँ उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(बी) जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, वहाँ वह निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -

सारणी

क्रम संख्या	कार्य स्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	“ए” श्रेणी के प्रमुख शहर और ग्रुप “ए” के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 10.0%
2.	क्षेत्र I में अन्य स्थान, ग्रुप “बी” में राज्य परियोजना क्षेत्र केन्द्र और गोवा	वेतन का 9.0%
3.	अन्य स्थान	वेतन का 8.0%

परंतु, यह कि यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता, उसके द्वारा आवासीय आवास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो उस वेतनमान के प्रथम चरण में वेतन के 0.35 प्रतिशत से अधिक होगा, जिसमें उसे शामिल किया गया है तथा उपर्युक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ता अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

टिप्पणी: अधिकारियों के उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे भी अब तक की तरह मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

7. उक्त विनियमनों के विनियम 23 में, -

(ए) उप-विनियम (1) और (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(1) 1 नवंबर, 2022 से, यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित स्थान पर कार्यरत है, तो उस स्थान के सापेक्ष कॉलम (3) में बताई गई दर से नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा:

सारणी

क्रम संख्या	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र 1 और उससे ऊपर के स्थानों और गोवा राज्य में	रु. 2300/- प्रति माह
2.	पांच लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्य की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पुदुच्चेरी एवं पोर्ट ब्लेयर	रु. 1900/- प्रति माह

(2) 1 नवंबर, 2022 से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होंगी:

परंतु, यह कि जहां अनुसूची के कॉलम (1) में उल्लिखित किसी भी स्थान पर, उप-विनियम (10) के तहत यथा प्रदत्त पहाड़ी क्षेत्र और ईंधन भत्ता भी देय है, तो अधिकारी दोनों में से केवल अधिक राशि वाला भत्ता लेने का हकदार होगा, दोनों का नहीं:

परंतु, यह और कि यदि दोनों भत्ता में से अधिक राशि वाला, 31 दिसंबर, 1989 को अधिकारी को मिलने वाले विशेष भत्ता और पहाड़ी क्षेत्र एवं ईंधन भत्ता के कुल योग से कम है, तो यह अंतर तब तक व्यक्तिगत भत्ता के तौर पर संरक्षित रहेगा, जब तक अधिकारी उस स्थान पर पदस्थ रहता है।”;

(बी) उप-विनियम (4), (5), (6) और (7) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमों को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(4) 1 अप्रैल, 2024 को एवं से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वह, बाद वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक रु.2500/- प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम दो बच्चों का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता पाने हेतु पात्र होगा:

परंतु, यह कि यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढाई करना बंद कर देते हैं, तो यह भत्ता मिलना बंद हो जाएगा।

(5) 1 अप्रैल, 2024 से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चयनित कर सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता, जो अधिकतम 7500/- रुपये प्रति माह होगा, प्राप्त कर सकता है और ऐसे अन्य भत्ते, जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर मिलते, आहरित कर सकेंगे।

परंतु, यह कि यदि ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है, या बैंक के गैर स्वामित्व वाले प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रशिक्षण केन्द्र में प्रतिनियुक्त किया जाता है, जहाँ वह प्रतिनियुक्ति से पूर्व पदस्थ था, तो उसे उसके वेतन का 4 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा, जो अधिकतम रु. 3750/- प्रति महीना होगा:

परंतु यह और कि जहां किसी अधिकारी को उसी नगरपालिका सीमा या शहरी समूह के भीतर किसी अन्य कार्यालय या शाखा में मेट्रो या प्रमुख “ए” श्रेणी के शहरों में प्रतिनियुक्ति की जाती है, जहां ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा या कार्यालय से 20 किलोमीटर और उससे अधिक है, वह विनियमन 41 के उप-विनियम (4) के अनुसार विराम भत्ता के लिए पात्र होगा:

(6) 1 अप्रैल 2024 को और से, यदि किसी अधिकारी को एक बार में लगातार कम से कम चार दिनों के लिए या एक कैलेंडर माह में कुल मिलाकर चार दिनों के लिए उच्चतर वेतनमान के पद पर कार्य करना पड़ता है, तो उसे उसकी मूल वेतन का 15 प्रतिशत के बराबर स्थानापन्न भत्ता मिलेगा, यह भत्ता उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा जिसके लिए वह काम करता है और स्थानापन्न भत्ता को केवल भविष्य निधि और पेंशन के उद्देश्य से वेतन के रूप में माना जाएगा:

परंतु यह कि, जहाँ कोई अधिकारी केवल विनियम 6 के तहत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के कारण उच्च वेतनमान में काम करता है, तो वह वर्गीकरण की समीक्षा लागू होने की प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु स्थानापन्न भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) 1 अप्रैल, 2024 को और से, एक अधिकारी प्रत्येक लेखाबंदी के लिए प्रति तिमाही रु.1500/- का लेखाबंदी भत्ता का हकदार होगा";
(सी) उप-विनियम (10), (11), (12) और (13) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(10) 1 नवंबर, 2022 को और से, एक अधिकारी निम्नलिखित सारिणी में इंगित अनुसार पहाड़ी क्षेत्र और ईंधन भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्:

सारिणी

क्रम संख्या	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम ऊँचाई वाले स्थान और मर्कारा टाउन	अधिकतम रु.1450/- प्रति माह के अध्यधीन वेतन का 2 प्रतिशत।
2.	ऐसे स्थान जिनकी ऊँचाई 1500 मीटर या उससे अधिक हो, परन्तु 3000 मीटर से कम हो।	अधिकतम रु.1900/- प्रति माह के अध्यधीन वेतन का 2.5 प्रतिशत।
3.	3000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई वाले स्थान	अधिकतम रु.3750/- प्रति माह के अध्यधीन वेतन का 5 प्रतिशत।

(11) 1 नवंबर, 2022 को और से, एक अधिकारी प्रति माह रु. 850/- के शिक्षण भत्ता के साथ-साथ उस पर महंगाई भत्ता पाने हेतु पात्र होगा।

टिप्पणी: शिक्षण भत्ता और उस पर लागू महंगाई भत्ते को अधिवर्षिता लाभ, अर्थात् पेंशन जिसमें सुनिश्चित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) शामिल है, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए परिगणित नहीं किया जाएगा।

(12) 1 नवंबर, 2022 को और से, जो अधिकारी नगर प्रतिपूर्ति भत्ता के लिए पात्र स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में पदस्थ है, उन्हें प्रति माह रु. 1200/- नियत स्थान भत्ता देय होगा, जिसे महंगाई भत्ता, अधिवर्षिता लाभ अर्थात् पेंशन जिसमें सुनिश्चित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना), भविष्य निधि (पीएफ) और ग्रेच्युटी के लिए परिगणित नहीं किया जाएगा।

(13) (ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 से, सभी अधिकारी कार्मिकों को बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मेट्रिक्स के आधार पर कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो निम्नलिखित चयनित मानदंडों में से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार पर आधारित होगा, अर्थात्: -

- (i) चालू खाता और बचत खाता;
- (ii) अनर्जक आस्तियां;
- (iii) विशेष उल्लेखित खाता;
- (iv) गैर-ब्याज आय;
- (v) कुल व्यवसाय;
- (vi) लाभप्रदता;
- (vii) आस्तियों पर प्रतिलाभ या इक्विटी पर प्रतिलाभ;
- (viii) सरकारी योजना; और

(बी) कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन की राशि, खंड (ए) में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर, 0-15 (अधिकतम) दिनों की वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के अनुरूप देय होगी।

8. उक्त विनियमनों के विनियम 24 में, -

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1) 1 नवंबर, 2022 को और से, कोई भी अधिकारी स्वयं के प्रमाणपत्र के आधार पर स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा, जिसमें अधिकारी द्वारा में दावा की गई राशि के लिए लेखा विवरण के साथ समर्थित ऐसा व्यय किए जाने का प्रमाणपत्र हो, जो निम्नलिखित सारिणी में निर्दिष्ट है, अर्थात्: -

सारिणी

क्रम संख्या	ग्रेड	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन ग्रेड	₹.13000 प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो।
2.	वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक ग्रेड	₹.15400/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो।

टिप्पणी 1: किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता राशि संचित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो किसी भी समय, ऊपर प्रदान की गई अधिकतम राशि से तीन गुना से अधिक न हो।

टिप्पणी 2: कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को दो माह, अर्थात् नवंबर, 2022 और दिसंबर, 2022 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।”;

(बी) उप-विनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(4) सभी अधिकारी कर्मचारी चक्षु परीक्षण के लिए प्रति वर्ष 500/- रुपये की प्रतिपूर्ति के भी पात्र होंगे।”

9. उक्त विनियमनों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, 1 नवंबर, 2022 को और से बैंक किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए अधिकारी को से वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान करना होगा:

परंतु, यह कि, जहाँ अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया गया हो, वहाँ वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी:

परंतु, यह और कि, जहाँ ऐसी आवासीय सुविधा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वहाँ बिजली, पानी, गैस और सफाई के लिए व्यय का वहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।”

10. उक्त विनियमनों के विनियम 31 में, निम्नलिखित परंतु अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“परंतु, यह कि, यदि संस्वीकृति प्राधिकारी किसी अधिकारी को छुट्टी देने से मना करता है या उसे स्थगित करता है, तो वह इसका कारण लिखित रूप में अंकित करेगा।”

11. उक्त विनियमनों के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(3) 1 अप्रैल, 2024 को और से, कोई अधिकारी कर्मचारी एक वर्ष में चार बार आधे दिन की दो आकस्मिक छुट्टी ले सकता है, जिसमें से दो बार सुबह और दो बार दोपहर में होंगी:

परंतु, यह कि, इस श्रेणी के तहत आकस्मिक छुट्टी 24 घंटे पूर्व आवेदित करने के पश्चात ही ली जा सकेगी:

परंतु, यह भी कि शेष आकस्मिक छुट्टी को अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टी खाते में अंतरित करते समय, शेष छुट्टी यदि अपूर्णाक में हो, तो अपूर्णाक को छोड़ दिया जाएगा।

12. उक्त विनियमन के विनियम 33 में, -

(ए) उप-विनियम (4) और (5) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

“(4) 1 जून, 2015 से विशेषाधिकार छुट्टी अधिकतम दो सौ सत्तर दिन तक संचित की जा सकेगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर, जहाँ छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

परंतु, यह कि 1 अप्रैल, 2024 से विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण अधिकतम दो सौ पचपन दिन तक सीमित होगी:

परंतु, यह भी कि कोई अधिकारी अपनी इच्छानुसार किसी भी त्योहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में पाँच दिन की दर से विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा तथा जिस अधिकारी ने पचपन वर्ष या अधिक की आयु पूरी कर ली हो, वह अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सात दिन की दर से विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण के लिए पात्र होगा।

(5) छुट्टी किराया रियायत के उद्देश्य को छोड़कर, विशेषाधिकार छुट्टी का लाभ उठाने के इच्छुक अधिकारी को, ऐसी छुट्टी की सूचना सामान्यतः दस दिन पहले देनी होगी।

परंतु, यह कि 1 अप्रैल, 2024 से किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार छुट्टी लेने हेतु दस दिनों की अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।”,

(बी) उप-विनियम (6) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित जाएगा, अर्थात्-

“(7) 1 अप्रैल, 2024 से विशेषाधिकार छुट्टी की गणना के प्रयोजनार्थ आकस्मिक छुट्टी और अनिवार्य छुट्टी को छोड़कर बाकी छुट्टियों को शामिल नहीं किया जाएगा।”

13. उक्त विनियमन के विनियम 34 में, -

(ए) उप-विनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

“परंतु, यह भी कि 1 अप्रैल, 2024 से कोई अधिकारी प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक माह की दर से बीमारी छुट्टी का पात्र होगा:

परंतु, यह भी कि किसी अधिकारी की संपूर्ण सेवाकाल में बीमारी छुट्टी की कुल संख्या (विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त बीमारी छुट्टी सहित) सात सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी।’

(बी) उप-विनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

“(6) 1 अप्रैल, 2024 से एकल पुरुष अभिभावक कर्मचारी अपने आठ वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के अध्यक्षीन बीमारी छुट्टी ले सकता है।

(7) 1 अप्रैल, 2024 से महिला कर्मचारी चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना प्रति माह एक दिन का बीमारी छुट्टी ले सकती है।

(8) 1 अप्रैल, 2024 से अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी अपने पंद्रह वर्ष और उससे कम आयु के दिव्यांग बच्चे की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण के अध्यक्षीन पर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिन की बीमारी की छुट्टी ले सकता है।

(9) 1 अप्रैल, 2024 से अट्ठारन वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी अपने जीवनसाथी के कार्यस्थल के अलावा किसी अन्य केंद्र में अस्पताल में भर्ती होने पर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिन तक बीमारी छुट्टी ले सकते हैं।”

14. उक्त विनियमनों के विनियम 36 में, उप-विनियम (1) में, -

(ए) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(ए) कोई महिला अधिकारी एक बार में छह माह से अनधिक और अपनी पूरी सेवाकाल के दौरान बारह माह से अनधिक अवधि हेतु संपूर्ण वेतन सहित मातृत्व छुट्टी की पात्र होगी:

परंतु, यह कि जुड़वा बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व छुट्टी की अवधि आठ माह होगी:

परंतु, यह भी कि 1 अप्रैल, 2024 से एक ही प्रसव में दो से अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व छुट्टी की अवधि बारह माह होगी:

परंतु, यह और कि मातृत्व छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ ली जा सकेगी।”;

(बी) खंड (डी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(डी) कोई महिला अधिकारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवाकाल के दौरान एकवार अधिकतम नौ माह की अवधि तक छुट्टी ले सकती है, अर्थात् -

- (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी;
- (ii) बच्चे को उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गोद लिया जाना चाहिए और कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए बैंक के समक्ष गोद लेने संबंधी विलेख प्रस्तुत करना होगा;
- (iii) सारोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे के मामले में जैविक माता के लिए भी छुट्टी उपलब्ध होगी; और
- (iv) संपूर्ण सेवाकाल के दौरान बारह माह की समग्र पात्रता अवधि के भीतर छुट्टी ली जा सकेगी।

(सी) खंड (ई) के बाद निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

“(एफ) 1 अप्रैल, 2024 से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन इन विट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) उपचार के लिए मातृत्व छुट्टी ली जा सकती है जो बारह माह की समग्र सीमा के भीतर होगी।

(जी) 1 अप्रैल, 2024 से मृत शिशु के जन्म या जन्म के अट्ठारस दिन के भीतर शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में महिला कर्मचारी साठ दिन तक विशेष मातृत्व छुट्टी ले सकती है।

15. उक्त विनियमन के विनियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“37ए. विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी - (1) 1 नवंबर, 2020 से कोई अधिकारी ऐसे अवसरों पर विशेष आकस्मिक छुट्टी का पात्र होगा, जब वह शाखा जहाँ अधिकारी कार्यरत है या वह स्थान जहाँ वह निवास कर रहा है, वह स्थान कर्फ्यू, दंगे, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि से प्रभावित हो।

(2) 1 नवंबर, 2020 से शारीरिक या अस्थि विकलांग कोई अधिकारी चार दिनों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी का पात्र होगा।

(3) 1 अप्रैल, 2024 से अखिल भारतीय अधिकारी संघों के प्रधान पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में पच्चीस दिनों तक विशेष छुट्टी दी जाएगी।

(4) 1 अप्रैल, 2024 से विभागीय जाँच में बचाव प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत अधिकारी, किसी अधिकारी की बचाव संबंधी प्रस्तुति तैयार करने के उद्देश्य से एक दिन की विशेष छुट्टी ले सकते हैं:

परंतु, यह कि ऐसी विशेष छुट्टी वर्ष में अधिकतम दस बार ली जा सकती है।

(5) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक छुट्टी और कोई भी विशेष छुट्टी दी जा सकती है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।”

16. उक्त विनियमन के विनियम 37ए के बाद निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

37बी. मृत्यु शोक छुट्टी- परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, संतान, माता-पिता और सास-ससुर) के निधन पर किसी अधिकारी को मृत्यु शोक छुट्टी दी जाएगी, जिसके दिनों की संख्या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी:

परंतु, यह कि बीच की छुट्टियां मृत्यु शोक छुट्टी का हिस्सा होंगी:

परंतु, यह और कि यह छुट्टी निधन के अधिकतम पंद्रह दिन के भीतर ली जानी चाहिए:

परंतु, यह भी कि विशेषाधिकार छुट्टी की गणना के उद्देश्य से उक्त छुट्टी को “सक्रिय सेवा” नहीं माना जाएगा।

17. उक्त विनियमन के विनियम 41 में –

(ए) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

“(1) 1 अप्रैल, 2024 से किसी अधिकारी द्वारा कर्तव्य संबंधी यात्रा किया जाना अपेक्षित हो, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्-

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत, अमृत भारत आदि प्रीमियम ट्रेनों सहित (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) किसी भी ट्रेन में प्रथम श्रेणी एसी में यात्रा करने के लिए पात्र होंगे:

परंतु, यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक या जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दिए जाने पर ऐसे अधिकारी हवाई यात्रा (इकोनॉमी श्रेणी में) कर सकते हैं;

(बी) मध्य प्रबंधन श्रेणी के अधिकारी खंड (ए) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन में प्रथम श्रेणी एसी में यात्रा करने के लिए पात्र होंगे:

परंतु, यह कि यदि यात्रा दूरी पांच सौ किलोमीटर से अधिक हो तो ऐसे अधिकारी हवाई यात्रा (इकोनॉमी श्रेणी में) कर सकते हैं;

परंतु, यह और कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक या जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दिए जाने पर ऐसे अधिकारी कम दूरी के लिए भी हवाई यात्रा (इकोनॉमी श्रेणी में) कर सकते हैं;

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी खंड (ए) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन से एसी प्रथम श्रेणी में या हवाई यात्रा (इकोनॉमी श्रेणी में) करने के लिए पात्र होंगे;

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी उन स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकते हैं जो हवाई या रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं, बशर्ते कि दूरी पाँच सौ किलोमीटर से अधिक न हो:

परंतु, यह कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का अधिकतम भाग हवाई या रेल मार्ग से तय किया जा सकता है, तो सामान्यतः शेष यात्रा कार से की जानी चाहिए:

(ई) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन, टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(एफ) किसी भी श्रेणी या वेतनमान का कोई अधिकारी उन स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन से यात्रा करने के लिए पात्र होगा जो सड़क, हवाई या रेल मार्ग से नहीं जुड़े हैं;

(जी) कोई अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) के किराए के लिए पात्र होगा।

नोट 1: ट्रेन के किराए पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पात्रता के अतिरिक्त होगा।

नोट 2: प्रचलित गतिशील किराया प्रणाली के अधीन बुकिंग की तिथि पर ट्रेन टिकटों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(बी) उप-विनियम (4) में खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(ए) विराम भत्ता - 1 अप्रैल, 2024 से सारिणी के मद (2) में निर्धारित ग्रेड या वेतनमान में कार्यरत अधिकारी, सारिणी के मद (3) में निर्धारित संबंधित दरों पर दैनिक विराम भत्ते के लिए पात्र होंगे, अर्थात् -

सारिणी

क्रम सं.	अधिकारियों का ग्रेड या वेतनमान	विराम भत्ता			
		मेट्रो रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र-1 रु.	अन्य स्थान रु.
(1)	(2)	(3)			
1.	वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
2.	वेतनमान IV और V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
3.	वेतनमान I, II और III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800

परंतु, यह कि यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम, किंतु, चार घंटे से अधिक हो, तो उपर्युक्त दरों के आधे दरों से विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण - विराम भत्ते की गणना के प्रयोजनार्थ दैनिक भत्ता चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका कोई पश्चवर्ती भाग होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी, किंतु यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है तो दैनिक भत्ता का तात्पर्य कम से कम आठ घंटे की अवधि होगी।

18. उक्त विनियमन के विनियम 42 में, -

(ए) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(3) 1 अप्रैल, 2024 से स्थानांतरित अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से संबंधित व्ययों के लिए एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जो नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट हैं, अर्थात् -

सारिणी		
क्रम सं.	ग्रेड या वेतनमान	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक (वेतनमान IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी)	₹. 50000/-
2.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	₹.40000/-

(बी) उप-नियम (4) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“परंतु, यह कि 1 अप्रैल, 2024 से, यदि बैंक द्वारा किसी अधिकारी को नए पदस्थापना स्थान पर आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है और यदि ऐसा अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में अपने नियंत्रण से परे कारणों से अतिरिक्त व्यय वहन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे अधिकारी के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पात्रता के आधार पर पंद्रह दिन की अवधि के लिए या जब तक उसे आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता, जो भी पहले हो, तब तक आवास और बोर्डिंग प्रभार या विराम भत्ता देने के लिए विचार कर सकता है।”

19. उक्त विनियमन के विनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“44. छुट्टी यात्रा रियायत - (1) प्रत्येक चार वर्ष की अवधि के दौरान, कोई अधिकारी दो वर्ष की प्रत्येक अवधि में एक बार अपने अधिवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा:

परंतु, यह कि वह दो वर्ष की अवधि में अपने अधिवास स्थान की यात्रा कर सकता है और दूसरे दो वर्ष की अवधि में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा सबसे छोटे मार्ग से कर सकता है।

(2) 1 अप्रैल, 2024 की प्रभावी तिथि से वैकल्पिक रूप में, कोई अधिकारी चार वर्षीय या दो वर्षीय अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, किसी भी समय विकल्प का प्रयोग करके अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (अधिवास स्थान की यात्रा को छोड़कर) को अभ्यर्पित कर उसका नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए वह ट्रेन द्वारा यात्रा के लिए अपनी पात्रता की श्रेणी के किराए के बराबर राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा जो कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I, मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के अधिकारियों के लिए 5,500 किलोमीटर (एकतरफा) और वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 6,500 किलोमीटर (एकतरफा) की दूरी तक मान्य है:

परंतु, यह कि छुट्टी यात्रा रियायत का नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए विकल्प चुननेवाला अधिकारी, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावा एक ही अवधि के दौरान एक बार ही प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऐसी रियायत का लाभ उठाया जाएगा तथा विशेषाधिकार छुट्टी का नकद भुगतान की सुविधा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय और छुट्टी यात्रा रियायत का नकद भुगतान के समय भी उपलब्ध होगी।

(3) छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए कोई अधिकारी उसी माध्यम और श्रेणी के तहत यात्रा कर सकता है जिसके लिए वह स्थानांतरण पर सामान्यतः पात्र होता है तथा अन्य नियम एवं शर्तें जिनके अधीन कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वे समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित होंगी।

परंतु, यह कि 1 अप्रैल, 2024 से कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I के अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय हवाई यात्रा के लिए सबसे कम किराए वाली इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के लिए पात्र होंगे, जिसकी प्रतिपूर्ति राशि वास्तविक किराया या तय की गई दूरी के लिए लागू एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन का किराया, जो भी कम हो, होगी। यही नियम मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के अधिकारियों पर भी लागू होंगे, जब वे छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाएंगे और जहाँ दूरी 500 किलोमीटर से कम होगी।

(4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार, जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाएगा, तो उसे एक बार में अधिकतम तीस दिन की विशेषाधिकार छुट्टी अभ्यर्पित करने और नकद भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, या उसे दो वर्षों के किसी अवधि में अपने अधिवास स्थान और दूसरी अवधि में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करते समय, प्रत्येक अवधि में अधिकतम पंद्रह दिन या किसी एक अवधि में तीस दिन तक विशेषाधिकार छुट्टी नकद भुगतान की अनुमति दी जा सकती है तथा नकद भुगतान के उद्देश्य से उस महीने के लिए देय सभी पारिश्रमिक स्वीकार्य होंगे जिस महीने के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया जाएगा।

परंतु, यह कि कोई अधिकारी अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करने के लिए एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी का नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसे बैंक को एक पत्र देना होगा और राशि को कोष में भेजने के लिए बैंक को अधिकृत करना होगा।

- (5) यदि पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हैं, तो छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ स्वतंत्र रूप से लिया जा सकता है।
- (6) पूर्वोक्त राज्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए, छुट्टी यात्रा रियायत गुवाहाटी से शुरू होगी और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक का ट्रेन किराया अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा।
- (7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से चेन्नई या कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर या किसी अन्य ऐसे क्षेत्र में स्थित दूरस्थ शाखाओं के लिए जो सीधे ट्रेन से जुड़े नहीं हैं, निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक छुट्टी यात्रा रियायत के तहत सामान्य पात्रता के अतिरिक्त किराया की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (8) मानक विकलांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर जाने वाले अनुचर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात् -

- (ए) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए;
- (बी) अधिकारी की शारीरिक विकलांगता ऐसी होनी चाहिए कि यात्रा के लिए किसी साथी की आवश्यकता हो और संदेह की स्थिति में, विभाग प्रमुख या नियंत्रक प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा;
- (सी) ऐसी मानक विकलांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा हेतु परिवार का कोई वयस्क आश्रित सदस्य नहीं है;
- (डी) ऐसी मानक विकलांगता वाले अधिकारी और उनके साथी को रेल या बस किराए में, रेलवे या राज्य सड़क मार्ग प्राधिकरणों द्वारा ऐसे मामलों में, दी जाने वाली छूट, यदि कोई हो, का लाभ उठाना होगा; और
- (ई) आश्रित के रूप में छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र कोई अन्य व्यक्ति ऐसी विकलांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर नहीं करता है।

(9) यदि किसी अधिकारी ने छुट्टी यात्रा रियायत या छुट्टी के लिए अग्रिम आवेदन किया है और टिकट भी बुक कर लिए हैं तथा प्रबंधन द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत अस्वीकृत या स्थगित कर दी जाती है तो रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।

(10) जब किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत या छुट्टी के लिए आवेदन किया है और उसे संस्वीकृत किया जा चुका है और जहाँ ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं होगी तो उसे तत्काल या प्रीमियम तत्काल के तहत खरीदे गए टिकटों की राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी।

20. उक्त विनियमन की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् -

**“अनुसूची
(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)**

1 नवंबर, 2022 की प्रभावी तिथि से कोई अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ता के लिए नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार तब तक पात्र होगा जब तक कि इसे पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त नहीं किया जाता या आशोधित नहीं किया जाता, अर्थात् -

**सारिणी
विशेष क्षेत्र भत्ता**

क्रम सं.	स्थान	भत्ता (रु. में)	
		रु.48,481/- से कम वेतन	रु.48,481/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम		
	(क) चिम्पटुइपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूर के क्षेत्र	4100	5300
	(ख) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला	4100	5300

	(ग) संपूर्ण आइजोल जिला	2700	3400
2.	नागालैंड	4100	5300
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
	(क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	4100	5300
	(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4100	5300
4.	सिक्किम	4100	5300
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	4100	5300
6.	असम	1000	1200
7.	मेघालय	1000	1200
8.	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	2700	3400
9.	मणिपुर	2700	3400
10.	अरुणाचल प्रदेश		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	4100	5300
11.	क- जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश		
	(1) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4100	5300
	(2) उधमपुर जिला:		
	(क) डुडु बसंतगढ़, लांदर भमाग इलाका, ठाकराकोट और नागोट	4100	5300
	(ख) महोरे तहसील के वे सभी क्षेत्र जो नीचे (ग) में शामिल क्षेत्रों के अतिरिक्त हैं	4100	5300
	(ग) तहसील मोहरे में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और क्रियासी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र	4100	5300
	(3) डोडा जिला: कश्मीर तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम का इलाका	4100	5300
	(4) बारामुला जिला:		
	(क) संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगडार उप-मंडल और केरन इलाका	4100	5300
	(ख) मैचिल	4100	5300
	(5) पुंछ और राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी तथा सुंदरबनी शहर और अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिलों में स्थित अन्य क्षेत्र	2700	3400
	(6) वे क्षेत्र जो ऊपर (1) से (5) में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता के लिए पात्र घोषित करेगी।	2700	3400
	बी- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख: लेह जिला: नोयामा और नोब्रे जांस्कर जिले के अन्य सभी स्थान	4100	5300
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चंबा जिला		

(ए) पांगी तहसील, भरमौर तहसील में निम्नलिखित पंचायतें और गाँव: पंचायतें: बड़गाँव, बजोल, देवल कुगती, नयागाम और टुंडा गाँव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी	4100	5300
(बी) भरमौर तहसील, जिसमें उपरोक्त (क) में शामिल पंचायतें और गाँव शामिल नहीं हैं	4100	5300
(सी) भरतियात तहसील में झांदरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बनीखेत सहित)	2700	3400
(2) किन्नौर जिला		
(ए) असरंग, चितकुल और हांगो कुनो या चारंग पंचायतें; 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा और रूपी की ग्राम पंचायतें शामिल हैं; पूह उप मंडल, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर	4100	5300
(बी) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण जिला	4100	5300
(3) कुल्लू जिला		
(ए) निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं	4100	5300
(बी) बाहरी सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बरो के गाँव को छोड़कर) और बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगना को छोड़कर संपूर्ण जिला, लेकिन तहसील निरमंड के जगत-खाना और बरो गाँवों सहित)	2700	3400
(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4100	5300
(5) शिमला जिला		
(ए) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चंडी- ब्रान्दा की पंचायतें शामिल हैं	4100	5300
(बी) डोडरा-कावर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और परगना सराहन के मुनीश, गोरी चैबीस	4100	5300
(सी) (I) चौपाल तहसील (i) सराहन परगना के घोरी, पंजगाँव, पाटसनौ, नौबीस और तीन कोटी, (ii) तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, (iii) परगना बाराबीस; (iv) रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और गोरी नोग; (II) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जटोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूट)	2700	3400
(6) कांगड़ा जिला:		
(ए) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	4100	5300
(I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला नगर और नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, जो धर्मशाला नगर में शामिल हैं: (ए) महिला आईटीआई, दारी, (बी) मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, (सी) बाल कल्याण और नगर एवं ग्रामीण योजना कार्यालय, सकोह,	2700	3400

<p>(डी) सीआरएसएफ कार्यालय, लोअर सकोह,</p> <p>(ई) कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार,</p> <p>(एफ) एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर,</p> <p>(जी) क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दारी,</p> <p>(एच) वननिगम कार्यालय, शामनगर,</p> <p>(आई) चाय कारखाना, दारी,</p> <p>(जे) आई.पी.एच. उप-मंडल, दारी,</p> <p>(के) निपटान कार्यालय, शामनगर,</p> <p>(एल) बिनवा परियोजना, शामनगर,</p> <p>(II) पालमपुर नगर, जिसमें हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (एचपीकेवीवी) परिसर, पालमपुर और निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं जो इसकी नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित हैं लेकिन पालमपुर नगर में शामिल हैं:</p> <p>(ए) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर,</p> <p>(बी) पशु विकास कार्यालय या जर्सी फार्म, बनूरी,</p> <p>(सी) रेशम उत्पादन कार्यालय या इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला या एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला,</p> <p>(डी) विद्युत उप-मंडल, लोहना,</p> <p>(ई) डी.पी.ओ. निगम, बुंदला,</p> <p>(एफ) विद्युत एचपीएसई डिवीजन, घुग्गर</p>		
<p>(7) मंडी जिला:</p>		
<p>जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील की पंचायतें:</p> <p>बागरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गट्टू, गरयास, जंझेली, जरयार, जोहार कल्हणी, कालवान, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी,</p> <p>सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना,</p> <p>धर्मपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें:</p> <p>बिंगा, कमला, सकलाना, तान्यार और तारखोला,</p> <p>करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल,</p> <p>महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सैज, सराहन और तेबन,</p> <p>सुंदरनगर तहसील की पंचायतें -</p> <p>बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी और शोजा</p>	<p>2700</p>	<p>3400</p>
<p>(8) सिरमौर जिला:</p> <p>(ए) निम्नलिखित पंचायतें</p> <p>(i) बनी, बाखली (पछाड़ तहसील);</p> <p>(ii) भरोग भनेरी (पांवटा तहसील);</p> <p>(iii) बिडला (नाहन तहसील);</p> <p>(iv) डिब्बर (पछाड़ तहसील); और</p>	<p>2700</p>	<p>3400</p>

	(v)थाना कसोगा (ताहन तहसील); (बी)थांसगिरि पथ		
	9) सोलन जिला: मंगल पंचायत	2700	3400
	10) हिमाचल प्रदेश के वे शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं	1000	1200
13.	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र	4100	5300
14.	पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरवन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भगतुश खाली (रामपुर), कुमिरमारी (बागना), झिंगाखाली, सजनाखाली, गोसाबा, अमलमथी (बिद्या), कैनिंग, कुलताली, पियाली, नलगराहा, रायदिघी, भैंची, पाथर प्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलतोला, घुसीघाटा (कुल्टी)	1000	1200.०.

वी एन माया, मुख्य महाप्रबंधक (सीडीओ/सीएलओ) एवं विधि
[विज्ञापन-III/4/असा./72/2026-27]

नोट: इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 1 जुलाई 1979 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे। इन विनियमों को बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया: -

क्रम सं.	राजपत्र अधिसूचना संख्या	सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	एसआरसी/17/97	31.05.1997
2.	एसआरसी /223/38	16.03.2000
3.	एसआरसी /223सी	25.08.2001
4.	1	04.01.2003
5.	-	01.05.2006
6.	एस.ओ.02	16.10.2006
7.	आईआरसी/जी-9/2017-18	11.01.2018
8.	आईबी/जी-9/2020-21(ई)	16.03.2022
9.	आईबी/जी-9/1/2022-23(ई)	01.03.2023
10.	आईबी/जी-10/1/2024-25(ई)	04.12.2024

स्पष्टीकरण ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू यह विनियम, सदस्य बैंकों की ओर से इस संबंध में दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारियों के संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों की सहमत शर्तों के अनुसार हैं। अतः, इस पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**INDIAN BANK
NOTIFICATION**

Chennai, the 4th May, 2026

F. No. HRL/134/2026-2027.— In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter number 4/2/12022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clauses (f), the following clause shall be substituted, namely: —

'(f) "family", in relation to officer employee for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession shall mean -

- (i) the officer employee's spouse;
- (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
- (iii) wholly dependent physically and mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;
- (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
- (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters;
and
- (vi) parents wholly dependent on the officer:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to fulfilling the income criteria for dependent.

Explanation 1.- The expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs.18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer employee.

Explanation 2.- For the purposes of medical expenses reimbursement scheme, and Leave Fare Concession, for all officer employees, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The officer employee shall have the choice to substitute either of the dependents, or both, once in a calendar year.

Explanation 3.- This definition shall be effective from the 1st April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme or policy, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st November 2024.;

3. In regulation 4 of the said regulations, -
 - (a) the *Explanation* to sub-regulation (7) shall be omitted;
 - (b) for sub-regulations (9) and (10), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

“(9) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs. 253000 - 9000/4 - 289000

Scale VII = Rs.156500 – 4340/4 – 173860

Scale VI = Rs. 140500 - 4000/4 – 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020

Scale IV = Rs.102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

Scale II = Rs. 64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

Explanation. - Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on the 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from the 1st November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV – V – 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI – VII - 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(12) On and from the 1st November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV – V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI - VIII - 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon;

Provided that an Officer in Scale-VIII shall be eligible for special allowance on and from the 31st March, 2020.

(13) On and from the 1st November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale II – III - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV – V - 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI - VII - 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VIII - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to in sub regulations (11), (12) and (13) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity’.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (9) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (7) and (8) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) and (d) below, subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs.2680/- each and the next five shall be of Rs.2980/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs.2980/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs.2980/- and the next four stagnation increments shall be of Rs.3360/- each:

Provided that the officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

Provided further that the officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs.3360/- and the next four stagnation increments shall be of Rs.3680/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

Provided also that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs.4000/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs.4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs.4340/-:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs.4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs.4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs.4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later;

- (i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs.4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November, 2022, whichever is later.

Note: The increments as mentioned in clauses (a) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation. - Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (b) in sub-regulation (2), -

- (i) before the *Explanation*, the following provisos shall be inserted, namely: -

“Provided that on and from the 1st November, 2022, officers completing Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that the officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination (JAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination-I (CAIIB-I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination-II (CAIIB II) shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination (JAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination-I (CAIIB-I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination-II (CAIIB II), whichever is later.

Provided also that in case where an officer as on the 8th March, 2024, has already acquired or acquires Junior Associate of Institute of Indian Bankers' examination (JAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination-I (CAIIB-I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination-II (CAIIB-II) after reaching the maximum of the scale of pay (in case of Junior Associate of Institute of Indian Bankers' examination (JAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB), or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay (in case of Junior Associate of Institute of Indian Bankers' examination (JAIIB) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination-I (CAIIB-I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination-II (CAIIB-II), and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.”;

(ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(a) Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale; (b) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; and (c) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that on and from the 1st November 2022, no Professional Qualification allowance shall be payable to an officer employee working in Scale VIII.”;

(iii) in the Note, after clauses (v), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(vi) officers who were in the services of the Bank as on the 1st November 2022 and have already completed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers-II (CAIIB II) and drawing Professional Qualification Pay-II shall be eligible for Professional Qualification Pay-III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) officers who have completed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers (Certified Associate of Indian Institute of Bankers-I) or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (Certified Associate of Indian Institute of Bankers-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022, and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.”;

(c) in sub-regulation (3), -

(i) the note after clause (g) shall be omitted;

(ii) after clause (h), the following shall be inserted, namely: -

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 1st November, 2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Table in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers employees who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table under clause (i) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of professional qualification pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.”.

5. In regulation 21 of the said regulations, -

- (a) in sub-regulation (6), in the *Explanation*, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of the *Explanation* to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.”;

- (b) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(8) On and from the 1st November, 2022, -

- (a) Dearness Allowance shall be payable at one per cent. of pay per percentage point of Index;
- (b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01 per cent. change in Dearness Allowance on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;
- (c) the change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1st February based on the following, namely: -

Dearness Allowance release date	Quarterly average of Consumer Price Index points of the months	Applicable for the month
1 st May	January, February and March	May, June and July
1 st August	April, May and June	August, September and October
1 st November	July, August and September	November, December and January
1 st February	October, November and December	February, March and April

- (d) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;
- (e) while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.”.

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) On and from the 1st November, 2022, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely: -

TABLE

Serial Number (1)	Place of work (2)	House Rent Allowance (3)
1.	Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0% of pay
2.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0% of pay
3.	Other places	8.0% of pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (3) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.”.

7. In regulation 23 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place specified in column (2) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate specified in column (3) thereof against that place shall be payable:

TABLE

Serial Number	Places	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Places in Area 1 and above and in the State of Goa	Rs.2300/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs.1900/- per month.

- (2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances, and not both:

Provided further that of such higher of the two allowances is less than the aggregate of Special Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the officer on 31st December, 1989, then such difference shall be protected as personal allowance till such time the officer remains at that place.”;

- (b) for sub-regulations (4), (5), (6) and (7), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: -

“(4) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank, where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month:

Provided further that where an officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major “A” class cities where the distance of such deputation is 20 kilometers and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as provided in sub-regulation (4) of regulation 41:

- (6) On and from the 1st April 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that, where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

- (7) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.”;

- (c) for sub-regulations (10), (11), (12) and (13), the following sub-regulations shall respectively be substituted,

(10) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Serial Number	Place	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month.

(11) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs.850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(12) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund (PF) and Gratuity.

(13) (a) From the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters, namely: -

- (i) Current Accounts and Saving Accounts;
- (ii) Non-performing Assets;
- (iii) Special Mention Accounts;
- (iv) Non – interest income;
- (v) Total Business;
- (vi) Profitability;
- (vii) Return on Assets or Return on Equity;
- (viii) Government Schemes; and

(b) Performance Linked Incentive amount shall be payable in 0-15 (maximum) number of days of pay (Basic Pay + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a).”.

8. In regulation 24 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength own certificate of the officer of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Serial Number	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less

Note 1: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note 2: For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2022 and December, 2022.”;

(b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(4) All officer employee shall also be eligible for reimbursement of Rs.500/- per year towards eye check-up.”.

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), on and from the 1st November, 2022, it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the officer, it shall record the reasons for the same in writing.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half- a day on four occasions in a year, out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying twenty-four hours in advance:

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”.

12. In regulation 33 of the said regulations, -

(a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: -

“(4) On and from the 1st June, 2015, Privilege Leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April, 2024, encashment of Privilege Leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty-five days:

Provided further that an officer shall also be eligible for encashment of Privilege Leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash Privilege Leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail Privilege Leave shall ordinarily give not less than ten days’ notice of his intention to avail such leave, except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of ten days shall be required for availing Privilege Leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.”;

(b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating Privilege Leave, all types of leave availed, except casual leave and mandatory leave shall be excluded.”.

13. In regulation 34 of the said regulations, -

(a) in sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely: -

“Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.”;

(b) after sub-regulation (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely: -

“(6) On and from the 1st April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April, 2024, officer employee may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years of age and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.”.

14. In regulation 36 of the said regulations, in sub-regulation (1), -

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) a Female officer shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024, in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed by combining it with any other kind of leave, except casual leave.”;

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

“(d) a female officer may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: -

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
- (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.”;

(c) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(f) on and from the 1st April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(g) on and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.”.

15. For regulation 37A of the said regulation, the following regulation shall be substituted, namely: -

“37A. Special casual leave and special leave. - (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working, or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, and the like.

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) With effect from the 1st April, 2024, the Principal Officer bearers of All India officers’ Unions or Associations shall be granted special leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1st April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry, may avail one-day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

16. After regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely: -

“37B. Bereavement leave. - An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the bereavement leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of the demise:

Provided also that the said leave shall not be considered as “Active service” for the purpose of calculation of privilege leave.”.

17. In regulation 41 of the said regulations. -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:-

(a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may travel by air (economy class), if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that such officer may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than five hundred kilometers:

Provided further that such officer may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains as mentioned in clause (a) or by air (economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail, provided that the distance does not exceed five hundred kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car:

(e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank’s vehicle;

(f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;

(g) an officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1: Goods and Services Tax charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

Note 2: In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.”;

(b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) Halting Allowance - on and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (2) of the Table shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (3) thereof, namely: -

TABLE

Serial Number	Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
		Metro Rs.	Major `A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
(1)	(2)	(3)			
1.	Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
2.	Officers in Scale IV and V	3375	2925	2475	2150
3.	Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable. –

Explanation. - For the purpose of computing Halting allowance, *per diem* shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, *per diem* shall mean a period of not less than eight hours.”.

18. In regulation 42 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Serial Number	Grade or Scale	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
2.	Junior Management and Middle Management (officers upto Scale III)	Rs.40000/-”;

(b) in sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that on and from the 1st April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and Boarding charges or Halting Allowance for a period of fifteen days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.”.

19. For regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely: -

“44. Leave Travel Concession. - (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel Concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of Privilege Leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time or he may, while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option shall be permitted to encash one day additional Privilege Leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

(5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.

(6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.

(7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel Concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(8) Leave Travel concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to the following conditions, namely: -

- (a) prior approval of the Competent Authority is obtained on each occasion;
- (b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;
- (c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;
- (d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and
- (e) any other person who is entitled to Leave Travel Concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.

(9) Where an officer has applied for Leave Travel Concession or Leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel Concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.

(10) Where an officer has applied for Leave Travel Concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.”.

20. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely: -

“SCHEDULE
(See sub-regulation (2) of regulation 23)

On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely: -

TABLE
Special Area Allowance

Serial number	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs.48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimpui district and areas beyond 25 kilometres from Lunglei town in Lunglei district.	4100	5300
	(b) Entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometres from Lunglei town	4100	5300
	(c) Entire Aizawl district	2700	3400
2.	Nagaland	4100	5300
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, middle Andamans, little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	(b) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300
4.	Sikkim	4100	5300
5.	Lakshadweep Islands	4100	5300
6.	Assam	1000	1200
7.	Meghalaya	1000	1200
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except difficult areas	2700	3400
9.	Manipur	2700	3400
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas	4100	5300
11.	A.- Union territory of Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) Udhampur District:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	(4) Baramulla District:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and Keran Illaqa	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300

	(5) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2700	3400
	(6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of eight kilometres from the Line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
	B.- Union territory of Ladakh: Leh District: Noyama and Nobre Zanskar All other places in the District	4100	5300
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and villages included in (a) above	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie town (including Banikhet proper)	2700	3400
	(2) Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats; 15/ 20 area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi; Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat areas specified above	4100	5300
	(b) Entire district other than areas included in (a) above	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	(5) Shimla District		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Brandia	4100	5300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300

	(c) (I) Chopal Tehsil (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, (iii) Pargana Barabis; (iv) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil; (II) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)	s2700	3400
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhungal and Chhota Bhungal	4100	5300
	(I) Dharamshala town of Kangra district and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala town: (a) Women's ITI, Dari, (b) Mechanical Workshop, Ramnagar, (c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, (d) CRSF Office at lower Sakoh, (e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, (f) HRTC Workshop, Sadher, (g) Zonal Malaria Office, Dari, (h) Forest Corporation Office, Shamnagar, (i) Tea Factory, Dari, (j) I.P.H. Sub- Division, Dari (k) Settlement Office, Shamnagar, (l) Binwa Project, Shamnagar, (II) Palampur town, including Himanchal Pradesh Krishi Vishwa Vidyalaya (HPKVV) Campus at Palampur and following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town : (a) H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, (b) Cattle Development Office or Jersey Farm, Banuri, (c) Sericulture Office or Indo- German Agriculture Workshop or HPPWD Division, Bundla, (d) Electrical Sub-Division, Lohna, (e) D.P.O. Corporation, Bundla, (f) Electrical HPSE Division, Ghuggar	2700	3400
	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gattoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja	2700	3400

	(8) Sirmaur District: (a) Following Panchayats of (i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil); (ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil); (iii) Birla (Nahan Tehsil); (iv) Dibber (Pachhad Tehsil); and (v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil); (b) Thansgiri Tract.	2700	3400
	(9) Solan District: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts	4100	5300
14.	West Bengal: South 24 Parganas District Sunderban areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1200.7.

V N MAYA, Chief General Manager (Cdo / Clo) & Legal

[ADVT.-III/4/Exty./72/2026-27]

Note: The Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* Notification dated the 1st July 1979. These regulations were subsequently amended *vide* the following notifications: -

Serial number	Gazette notification number	Date of publication in the Official Gazette
1.	SRC/17/97	31.05.1997
2.	SRC/223/38	16.03.2000
3.	SRC/223C	25.08.2001
4.	1	04.01.2003
5.	-	01.05.2006
6.	S.O.02	16.10.2006
7.	IRC/G-9/2017-18	11.01.2018
8.	IB/G-9/2020-21(E.)	16.03.2022
9.	IB/G-9/1/2022-23(E)	01.03.2023
10.	IB/G-10/1/2024-25(E)	04.12.2024

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.